


कृषि आय किसे कहते हैं ? (What is Agricultural Income ?)

जमीन पर उगने वाली प्रत्येक कृषि उपज को बेचने से प्राप्त आय कृषि आय नहीं होती है। अतः यहाँ यह जानना आवश्यक है कि कृषि आय किसे कहते हैं ? कृषि आय की परिभाषा आय-कर अधिनियम की धारा 2(1A) में दी गई है। इस परिभाषा के आधार पर कृषि आय को निम्नांकित चार्ट के माध्यम से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है :

कृषि आय



- | | | |
|---|--|--|
| (i) भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान।
(ii) भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए।
(iii) भूमि का प्रयोग कृषि के कार्यों में होना चाहिए। | (i) भूमि से आय कृषि क्रिया करने से प्राप्त हुई हो, अथवा
(ii) आय की प्राप्ति, किसान या किराया प्राप्तकर्ता द्वारा अपनी उपज को विक्रय-योग्य बनाने वाली क्रिया करने से हुई हो, अथवा
(iii) आय की प्राप्ति किसान या किराया प्राप्तकर्ता द्वारा अपनी उपज को बेचने से हुई हो। | कुछ शर्तों के अन्तर्गत कृषि भवन से आय। |
|---|--|--|

(क) कृषि भूमि का भारत में होना (Land should be Situated in India)—अक्सर देखा जाता है कि एक व्यक्ति अपनी भूमि को खेती के कार्य में प्रयोग करने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है और वह इसके बदले में किराया अथवा लगान प्राप्त करता है। यह लगान अथवा किराये की प्राप्ति कृषि आय होती है, किन्तु इसके लिए इस शर्त का पूरा होना आवश्यक है कि भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए और भूमि का उपयोग कृषि के कार्यों में होना चाहिए।

(ख) कृषि क्रियाओं का होना (Agricultural Operations)—उपर्युक्त प्रकार की भूमि (अर्थात् ऐसी भूमि जो भारत में स्थित है तथा खेती के कार्यों में प्रयोग की जाती है) के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं; जैसे :

- (i) भारत में स्थित भूमि से आय, कृषि आय तभी कहलायेगी जब कृषि की क्रियाएँ की गई हों।

(ii) किसी व्यक्ति या किसान को प्राप्त ऐसी आय जो उसके द्वारा उत्पादित या प्राप्त उपज को बाजार में बेचने योग्य बनाने के लिए किये गये परिश्रम के बदले में प्रतिफलस्वरूप मिलती है, कृषि आय होती है। जैसे, मि. 'X' तम्बाकू के हरे पत्तों को सुखाकर तथा उनके बण्डल बनाकर बाजार में बेचने का कार्य करता है और इस कार्य के फलस्वरूप उसे ₹ 4,000 प्राप्त होते हैं तो यह आय कृषि आय होगी।

(iii) यदि कोई व्यक्ति (किराया या लगान प्राप्तकर्ता) अथवा कृषक अपनी उपज को बाजार में बेचकर आय प्राप्त करता है या नियमित रूप से दुकान लेकर उस उपज की बिक्री करता है, तो ऐसी बिक्री से प्राप्त आय कृषि आय होगी। जैसे, एक कृषक अपना गेहूँ मण्डी में बेचकर रकम प्राप्त करता है तो यह कृषि आय होगी।

स्पष्टीकरण—(1) 'किराया' अथवा 'लगान' नकद अथवा उपज के रूप में प्राप्त हो सकता है।

(2) कृषि भूमि को हस्तान्तरित करने या बेचने पर प्राप्त होने वाली रकम कृषि आय नहीं कहलायेगी।

(3) कृषि भूमि को बेचने पर होने वाला लाभ पूँजी लाभ माना जाता है, कृषि आय नहीं।

कृषि की क्रियाओं या कृषि कार्यों का आशय (Meaning of Agricultural Activities)

उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वाक्यांश 'कृषि कार्यों में प्रयोग किया जाना' आया है। इसका अर्थ है कि भूमि का उपयोग खेती के कार्यों में होना चाहिए अन्यथा प्राप्त आय कृषि आय नहीं कहलायेगी। एक कृषक को कृषि करने के लिए भूमि को तैयार करने से लेकर फसल को काटकर बेचने तक अनेक क्रियाएँ करनी पड़ती हैं जिन्हें कृषि की क्रियाएँ कहा जाता है। इन समस्त कृषि क्रियाओं को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं :

(i) प्राथमिक अथवा आधारभूत क्रियाएँ (Primary Functions), तथा

(ii) परावर्ती या बाद की क्रियाएँ (Subsequent Functions)।

(i) प्राथमिक क्रियाएँ—इन क्रियाओं में वे कार्य शामिल किये जाते हैं जिन्हें किसान पौधा निकलने से पहले करता है। भूमि को जोतना (tulling of land), भूमि में पानी देना (watering of land), भूमि में खाद डालना (manuring of land), भूमि में बीज बोना (solving of seeds), आदि क्रियाएँ प्राथमिक या आधारभूत क्रियाएँ हैं। इन क्रियाओं को न करने की दशा में, आय कृषि आय नहीं कही जा सकती। जैसे, भूमि पर पेड़-पौधे, जंगली धास, बाँस स्वतः उग आते हैं। इन्हें बेचकर प्राप्त की गई आय कृषि आय नहीं कही जा सकती क्योंकि इस आय को प्राप्त करने हेतु कोई भी कृषि क्रिया नहीं की गई है।

(ii) बाद की क्रियाएँ—भूमि से पौधा निकलने के बाद जो क्रियाएँ की जाती हैं उन्हें बाद की क्रियाएँ कहते हैं। भूमि की निराई करना (काट-छाँट करना), पौधों के आस-पास की धास, झाड़-झांखाड़ को हटाना, उपज के आस-पास खुदाई करना (गुड़ाई करना), सिंचाई करना, पौधों की कीड़ों व अन्य जानवरों से रक्षा करना, फसल काटना, साफ करना एवं सभी ऐसे कार्य जिनसे उपज में वृद्धि हो। ये सभी क्रियाएँ बाद की क्रियाओं के अन्तर्गत आती हैं। ये क्रियाएँ फसल को बाजार में बेचने के लिए आवश्यक हैं।

स्पष्टीकरण—(1) कृषि में अनाज उत्पन्न करने के अतिरिक्त अन्य सभी व्यापारिक फसलें, जैसे, कपास, जूट, तिलहन, गन्ना, नील, चाय, कॉफी, रबर, इत्यादि शामिल होती हैं। उन्होंने व्यक्तियों की भूमि पर खेती करने से प्राप्त आय कृषि आय कही जाती है जिनका भूमि में हित होता है, जैसे, जमीन का स्वामी, लगान प्राप्तकर्ता अथवा भूमि को बन्धक रखकर उस पर कब्जा पाने वाले व्यक्ति का भूमि में हित होता है।

(2) उपर्युक्त दोनों प्रकार की क्रियाओं में से आधारभूत क्रियाओं का होना अत्यावश्यक है। यदि आधारभूत क्रियाएँ न करके सिर्फ बाद की क्रियाएँ की जाती हैं, तो ये कृषि क्रियाएँ नहीं कहलायेंगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी खड़ी फसल को खरीदकर बाद की क्रियाएँ करके उपज को बेचता है, तो उसे इससे मिलने वाली आय कृषि आय नहीं होगी क्योंकि उसने आधारभूत क्रियाओं को नहीं किया है।

(ग) कुछ शर्तों के अन्तर्गत कृषि भवन से आय—एक मकान जो कृषि भूमि पर या कृषि भूमि के निकट स्थित है और इसका प्रयोग कृषक या किराया प्राप्तकर्ता द्वारा अपने रहने के लिए अथवा पशुओं को रखने के लिए अथवा घण्डार-घर के रूप में किया जाता है, तो ऐसे मकान को कृषि भवन, खेत का मकान या फार्म हाउस कहते हैं। ऐसे कृषि भवन से प्राप्त आय को भी निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर कृषि आय कहा जायेगा :

(i) यह कृषि भवन या फार्म हाउस उस कृषि भूमि पर अथवा उसके बिल्कुल निकट स्थापित होना चाहिए जो भारत में स्थित है तथा कृषि भूमि कृषि के कार्यों में प्रयोग की जाती है।

(ii) यह फार्म हाउस कृषक या किराया प्राप्त करने वाले व्यक्ति के कब्जे में (अधिकार में) होना चाहिए।

(iii) इस भूमि पर भू-राजस्व (Land Revenue) लगता हो या सरकार द्वारा स्थानीय कर वसूल किया जाता हो। यदि किसी भूमि पर भू-राजस्व या स्थानीय कर नहीं लगता है तो इसको गैर-शहरी क्षेत्र में स्थित होना आवश्यक है। कोई भी ऐसी भूमि जो यद्यपि नगरपालिका, नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड (Cantonment Board) के क्षेत्र में स्थित है, निमांकित शर्तों के पूरा होने पर ही गैर-शहरी क्षेत्र में स्थित मानी जायेगी :

(अ) उस क्षेत्र की आबादी 10,000 से कम है अर्थात् उस भूमि को अधिकतम 10,000 तक आबादी वाले क्षेत्र में स्थित होना चाहिए, अथवा

(ब) ऐसी भूमि को ऐसे नगर निगम या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से अधिसूचित दूरी से अधिक दूरी पर स्थित होना चाहिए।

कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 से कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10,000 से अधिक है तथा जो नीचे वर्णित दूरी के अन्तर्गत नहीं आता, उसे गैर-शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र माना जायेगा :

(अ) नगरपालिका/छावनी बोर्ड की जनसंख्या 10,000 से अधिक किन्तु 1 लाख तक है—नगरपालिका/छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा से 2 किमी।।

(ब) नगरपालिका/छावनी बोर्ड की जनसंख्या 1 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख तक है—नगरपालिका/छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा से 6 किमी।।

(स) नगरपालिका/छावनी बोर्ड की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है—नगरपालिका/छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा से 8 किमी।।

उपरोक्त प्रयोजन हेतु 'जनसंख्या' का अभिप्राय उस जनसंख्या से है जो पिछली जनगणना पर आधारित है जिसके आँकड़े गत वर्ष के पहले दिन से पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं।

- नोट :** 1. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आय-कर अधिनियम की धारा 2(1A) के अन्तर्गत कर-निर्धारण वर्ष 2001-02 से कोई भी आय जो किसी भूमि या भवन, जिसका वर्णन उपर्युक्त (ग) में किया गया है, से प्राप्त ही है और इस भूमि व भवन का प्रयोग कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रकार से प्रयोग हुआ है, जैसे, भूमि या भवन को रहने हेतु किराये पर उठाना या व्यापार या पेशे हेतु किराये पर उठाना, तो यह आय कृषि आय नहीं कहलायेगी।
2. शहरी क्षेत्र में स्थित भूमि पर बने कृषि भवन से आय को कृषि आय नहीं माना जायेगा यदि उस भूमि पर भू-राजस्व नहीं लगता है अथवा स्थानीय दरों से कर नहीं लगता है। इसी प्रकार गैर-शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र (Rural area) में स्थित भूमि पर बने कृषि भवन से आय को कृषि आय माना जायेगा भले ही उस भूमि पर भू-राजस्व नहीं लगता है।

(घ) नर्सरी में हुई पौधे से आय—किसी नर्सरी में उगाये गये पौधों एवं पौधे से हुई आय को कृषि आय के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा।

कृषि आय के आवश्यक लक्षण या तत्व (ESSENTIAL FEATURES OF AGRICULTURAL INCOME)

कृषि आय की परिभाषा के आधार पर कृषि आय में पाये जाने वाले प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं :

(1) **कृषि आय प्रत्यक्ष रूप से भूमि से प्राप्त होनी चाहिए**—जैसे, कृषि आय में से वितरित किया गया लाभांश अंशधारियों के लिए कृषि आय नहीं है क्योंकि इस आय का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भूमि से नहीं है।

(2) **भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए**—विदेश में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त आय कृषि आय की श्रेणी में नहीं आती और इसीलिए करदाता के लिए कर-मुक्त नहीं होती है।

(3) **भूमि खेती के रूप में प्रयोग होनी चाहिए**—अर्थात् भूमि पर खेती की आधारभूत क्रियाएँ (जिनका वर्णन पिछले पृष्ठों में किया गया है) अवश्य की जानी चाहिए, तभी प्राप्त आय कृषि आय कहलायेगी।

(4) **भूमि में हित**—कृषि भूमि के मालिक अथवा भूमि के किरायेदार का भूमि में हित होना चाहिए।

(5) **भूमि के साथ मात्र कुछ सम्बन्ध होना ही कृषि आय के लिए पर्याप्त नहीं है**—किसी क्रिया को 'कृषि' के अन्तर्गत समाहित करने हेतु मात्र इतना ही पर्याप्त नहीं है कि उस व्यक्ति का भूमि के साथ सम्बन्ध है अथवा वह व्यक्ति किसी तरीके से उस पर आश्रित है। इसी आधार पर पशुधन का प्रजनन एवं उन्हें पालना, डेयरी फार्मिंग, मक्खन तैयार

करना, मुर्गी पालना—ये सभी कार्य कृषि के उद्देश्य हेतु नहीं हैं। अतः इन्हें कृषि क्रियाएँ नहीं कहेंगे तथा इनसे प्राप्त आय कृषि आय नहीं होगी।

(6) **नर्सरी से सम्बन्धित आय**—कर-निर्धारण वर्ष 2009-10 से धारा 2(1A) में संशोधन किया गया है कि नर्सरी से सम्बन्धित आय को कृषि आय माना जाये भले ही मूलभूत क्रियाएँ की गई हों अथवा नहीं। अतः किसी नर्सरी में उगाई गई पौधे या पौधों से होने वाली आय कृषि आय मानी जायेगी।

कृषि आय के प्रकार

(KINDS OF AGRICULTURAL INCOME)

आय-कर अधिनियम की धारा 2(1A) में दी गई परिभाषा के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की सभी आयें कृषि आय की श्रेणी में आती हैं :

(1) **भूमि से प्राप्त किराया या लगान** (Rent or Revenue derived from Land)—किसी कृषि भूमि के मालिक ने अपनी भूमि दूसरे व्यक्ति को खेती करने के उद्देश्य से सौंप दी है और इसके बदले में वह कोई किराया (नकद या उपज) लेता है, तो इस प्राप्त किराये या लगान को कृषि आय कहेंगे।

(2) **कृषि भूमि पर खेती करने से प्राप्त आय** (Income from Agricultural Operations)—कृषि भूमि के स्वामी अथवा कृषि भूमि के किरायेदार को अथवा उस कृषि भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति (भूमि बन्धककर्ता) को, भूमि पर कृषि क्रिया करने से जो आय प्राप्त होती है, वह कृषि आय कहलाती है।

(3) **कृषि उपज को विक्रय-योग्य बनाने वाली क्रिया से आय** (Income from Operations to make Agricultural Produce Saleable)—किसी कृषि भूमि के मालिक, किरायेदार अथवा भूमि में हित रखने वाले अन्य किसी व्यक्ति ने कोई इस प्रकार का कार्य किया है जो उपज को बाजार में बेचने-योग्य बनाने के लिए आवश्यक था, तो ऐसे कार्यों को करने से प्राप्त आय कृषि आय कहलाती है। उदाहरण के लिए, कृषक द्वारा गेहूँ, चना, आदि फसलों को विक्रय-योग्य बनाने के लिए उनमें से भूसा आदि अलग करना, कपास को ओटकर रुई निकालना, खाद्यान की बालियों में से दाने निकालना, जूट के पौधों से रेशा निकालना एवं उसकी सफाई करना, आदि कुछ ऐसी क्रियाएँ हैं जो उपज को बाजार में विक्रय-योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। इन क्रियाओं को करने से उपज के मूल्य में वृद्धि होती है, परन्तु जब कोई व्यक्ति खरीदी हुई फसल पर उपर्युक्त क्रियाओं को करके कुछ आय प्राप्त करता है, तो यह कृषि आय नहीं होती है। जैसे, सरसों से तेल निकालने की क्रिया, गन्ने से गुड़ बनाने की क्रिया, कपास से बिनौला अलग करने की क्रिया कृषि क्रिया के अन्तर्गत शामिल नहीं होती हैं।

स्पष्टीकरण— 1. सामान्यतया भूसे को अन्न से अलग करना, फटकना (winnowing), साफ करना, सुखाना, कुचलना (crushing), निथारना (decanting), उबालना (boiling) इत्यादि सभी क्रियाएँ उपज को विक्रय-योग्य बनाने की क्रियाएँ हैं।

2. उपज को विक्रय-योग्य बनाने की क्रिया, उपज की गुणवत्ता, समय व स्थान के साथ-साथ अलग-अलग हो सकती है।

(4) **कृषि उपज को बेचने से प्राप्त आय** (Income from Sale of Agricultural Produce)—यदि कोई व्यक्ति कृषि क्रिया द्वारा प्राप्त अपनी उपज को बाजार में सीधे या नियमित रूप से दुकान लगाकर बेचने से आय प्राप्त करता है तो यह कृषि आय होगी। इसी प्रकार किसी भूमि के मालिक द्वारा किराये या लगान के रूप में प्राप्त उपज को बाजार में या स्वयं की दुकान लगाकर बेचा जाता है, तो इससे प्राप्त आय भी कृषि आर होगी, परन्तु कोई कृषक किसी अन्य व्यक्ति की फसल को बेचने से आय प्राप्त करता है, तो यह कृषि आय नहीं होगा।

(5) **कृषि भवन से आय** (Income from Farm House)—यदि कोई मकान कृषि भूमि पर या उसके बिल्कुल निकट स्थित है, तो कुछ शर्तों के पूरा होने पर (इन शर्तों का उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया गया है) ऐसे मकान की आय कृषि आय होगी।

कृषि आय के कुछ उदाहरण (Some Examples of Agricultural Income)

1. बन्धक रखने वाले व्यक्ति द्वारा उप-किरायेदार से कृषि भूमि के लिए प्राप्त किया गया किराया।
2. कृषि कार्यों में संलग्न फर्म से किसी साझेदार द्वारा पूँजी पर प्राप्त किया गया ब्याज।
3. तूफान में नष्ट हुई फसल के लिए बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति।
4. फूल, पौधे एवं लतिकाएँ उगाने से होने वाली आय।

गैर-कृषि आय के कुछ उदाहरण (Some Examples of Non-agricultural Income)

निम्नलिखित आयें यद्यपि कृषि आय जैसी प्रतीत होती हैं, किन्तु कृषि आय के आवश्यक लक्षणों को पूरा न करने के कारण कृषि आय नहीं मानी जाती :

1. कृषि भूमि के पिछले बकाया किराये पर प्राप्त व्याज की रकम।
2. मुर्गी पालन से आय।
3. मछली पालन से आय।
4. खानों की रौयलटी से आय।
5. मक्खन तथा पनीर की बिक्री से आय।
6. समुद्री जल से भूमि में पानी भरकर उत्पादित नमक से आय।
7. साहूकार या महाजन द्वारा कृषि उपज के रूप में प्राप्त व्याज।
8. कृषि भूमि को जल की पूर्ति करने के मूल्य के बदले में प्राप्त कृषि उपज की बिक्री से आय।
9. बाजारों, मेलों तथा प्रदर्शनियों से होने वाली आय।
10. पत्थर की खानों से प्राप्त होने वाली आय।
11. कृषि फार्म के प्रबन्धक के रूप में प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक।
12. ईंट बनाने हेतु प्रयुक्त भूमि की आय।
13. लाख की खेती करने से होने वाली आय।
14. खड़ी फसल को खरीदने पर होने वाली आय।
15. तालाब में सिंधाड़े उगाने से प्राप्त आय।
16. कृषि उपज को संगृहीत करके भण्डार के रूप में प्रयुक्त भूमि से आय।
17. कृषि कार्यों में प्रयोग न किये जाने वाले पशुओं के लिए भूमि पर चारा उगाने से आय।
18. भू-स्वामी को किरायेदार की उपज के विक्रय पर प्राप्त कमीशन।
19. कृषक द्वारा अधिक उत्पादन करने के परिणामस्वरूप प्राप्त इनाम की राशि।
20. कृषि कार्यों में लगी हुई कम्पनी से अंशधारियों को प्राप्त लाभांश की आय।
21. डेयरी फार्म की आय।
22. जमीन की मिट्टी के बेचने से आय।

Example 1

कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित आय कृषि आय हैं या नहीं :

- (1) ओला वृष्टि (Hailstorm) से चाय की फसल नष्ट होने पर बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि।
 - (2) साफ किये गये जंगल की भूमि पर पुनः उगाये गये वृक्षों की बिक्री से आय, जिनके लिए जंगल लगाने के सम्बन्ध में परावर्ती (Subsequent) क्रियाएँ की गई हैं।
 - (3) एक व्यक्ति द्वारा अपने किरायेदार की कृषि उपज से कमीशन के रूप में प्राप्त राशि।
 - (4) संजीव ने तम्बाकू के सूखे पत्तों की बिक्री से ₹ 5,000 प्राप्त किये।
 - (5) श्रीलंका में कृषि भूमि से आय।
 - (6) गने के उत्पादक द्वारा टेण्डर फार्म के विक्रय करने से आय।
 - (7) भूमि को बेचने से प्राप्त राशि। भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है।
 - (8) कृषि कार्यों में प्रयुक्त मूमि के साधारण बन्धक पर व्याज से आय।
 - (9) कृषि कार्यों के लिए ड्रैक्टर आदि किराये पर देने से आय।
 - (10) मि. रामू, एक किसान को अधिक उपज पैदावार हेतु सरकार द्वारा दी गई इनाम।
- State with reasons whether the following incomes are agricultural income or not :
- (1) Compensation received from an insurance company for damages to tea crop due to hailstorm.
 - (2) Income from sale of re-grown trees on cleaned forest land for which subsequent functions in connection with forestry have been performed.
 - (3) Commission received by a person for selling agricultural produce of his tenant.

- (4) Sanjeev got ₹ 5,000 from sale of dry leaves of tobacco.
- (5) Income from agricultural land in Sri Lanka.
- (6) Income from sale of tender forms by sugarcane manufacturers.
- (7) Receipts from sale of land. The land is used for agricultural functions.
- (8) Income from interest on simple mortgage of land used in agricultural functions.
- (9) Income from letting out the tractors for agricultural functions.
- (10) Prize given by the Government to Mr. Ramu, a farmer on account of higher yield.

Solution

- (1) यह कृषि आय है क्योंकि क्षतिपूर्ति की राशि कृषि आय की क्षति के कारण ही मिली है।
- (2) यह कृषि आय है क्योंकि वृक्षों को उगाया गया है तथा बाद की क्रियाएँ की गई हैं।
- (3) यह कृषि आय नहीं है क्योंकि ऐसी आय का कृषि भूमि से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। कृषि आय होने के लिए आय का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भूमि से होना आवश्यक है।
- (4) यह सामान्यतया कृषि आय है क्योंकि तम्बाकू के पत्तों को बाजार में विक्रय-योग्य बनाने के लिए उन्हें सुखाना आवश्यक है। यदि तम्बाकू के हरे पत्ते बाजार में बिकने लगें तो सूखे पत्तों की बिक्री से प्राप्ति अंशतः कृषि आय होगी।
- (5) यह कृषि आय नहीं है क्योंकि भूमि भारत में स्थित नहीं है।
- (6) यह कृषि आय नहीं है क्योंकि आय प्राप्ति के लिए कोई कृषि क्रिया नहीं की गई है तथा यह आय भूमि से सम्बन्धित भी नहीं है।
- (7) यह कृषि आय नहीं है। भूमि को बेचा गया है न कि कृषि उपज को। भूमि के बेचने पर हुआ लाभ 'पूँजी लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य होता है।
- (8) यह कृषि आय नहीं है क्योंकि यह आय भूमि से या कृषि क्रिया से प्राप्त नहीं हुई है बल्कि बन्धक रखने से हुई है।
- (9) यह कृषि आय नहीं है क्योंकि भूमि को किराये पर नहीं दिया गया है।
- (10) मि. रामू को प्राप्त इनाम का सम्बन्ध न तो कृषि भूमि से है और न कोई कृषि क्रिया करने से है। अतः यह आय कृषि आय नहीं है।

अंशतः कृषि आय

(PARTLY AGRICULTURAL INCOME)

कभी-कभी कोई व्यक्ति या औद्योगिक संस्थान स्वयं के द्वारा उत्पादित कृषि उपज अथवा किराये के रूप में प्राप्त कृषि उपज का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि किसी निर्माता या व्यवसायी ने कृषि भूमि पर उत्पादित कृषि उत्पाद का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करके कुछ माल निर्मित किया है और उसे बाजार में विक्रय करके आय प्राप्त की है, तो इस आय का एक भाग कृषि आय तथा शेष भाग गैर-कृषि आय मानी जायेगी। इस सम्पूर्ण आय में से कृषि तथा गैर-कृषि आय के भाग की अलग-अलग गणना करना आवश्यक है। इस सम्पूर्ण आय में शामिल कृषि आय के भाग को अंशतः कृषि आय कहते हैं।

उदाहरण (Example)—अधिकांश चीनी बनाने वाले कारखाने स्वयं के खेतों पर गन्ना उत्पन्न करके, इस गन्ने को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके एक प्रक्रिया के द्वारा चीनी बनाकर बाजार में बेचते हैं और आय कमाते हैं। इस सम्पूर्ण आय का एक भाग कृषि आय माना जाता है जिसे अंशतः कृषि आय कहते हैं। इस आय में गैर-कृषि आय का भाग कर-योग्य होता है।

कृषि आय तथा गैर-कृषि आय (व्यावसायिक आय) को पृथक् करना आवश्यक क्यों ?

कुल आय में से कृषि आय के अंश को पृथक् करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि :

- (1) कृषि आय कर-मुक्त होती है।
- (2) सम्पूर्ण आय में शामिल गैर-कृषि आय का भाग 'व्यवसाय एवं पेशे के लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य होता है। यदि कृषि आय के अंश को पृथक् नहीं किया जायेगा, तो सम्पूर्ण आय 'व्यवसाय एवं पेशे के लाभ' शीर्षक में कर-योग्य हो जायेगी और इस प्रकार कर की रकम की गणना भी त्रुटिपूर्ण हो जायेगी।

अंशतः कृषि आय के भाग की रकम ज्ञात करने सम्बन्धी नियम

(RULES FOR ASCERTAINING AMOUNT OF PARTLY AGRICULTURAL INCOME)

कुल आय में से कृषि आय का अंश ज्ञात करने सम्बन्धी नियम निम्नलिखित हैं :

(1) चाय के अतिरिक्त कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले निर्माणकर्ताओं की आय [नियम 7]—यह नियम चीनी के कारखानों, तेल, वनस्पति धी, आटा तथा ऐसे अन्य निर्माणकर्ताओं पर लागू होता है जो स्वयं के द्वारा उगाये गये कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाकर माल निर्मित करते हैं और उनका विक्रय करते हैं। ऐसे निर्माताओं की कुल आय में कुछ कृषि आय का तत्व विद्यमान रहता है तथा कुछ गैर-कृषि आय का। इस नियम के अनुसार कृषि उपज का बाजार मूल्य या विक्रय मूल्य कृषि आय होती है और इस बाजार मूल्य को कुल विक्रय मूल्य में से घटा देने पर गैर-कृषि आय (कर-योग्य आय) बचती है, परन्तु इस सम्बन्ध में कृषि करने का कोई भी खर्च नहीं घटाया जायेगा। संक्षेप में,

कृषि आय = कृषि उपज का बाजार मूल्य (उपज को बाजार में न बेचने की दशा में निम्नलिखित तीन का योग ही उस उपज का बाजार मूल्य मानेंगे—(i) कृषि से सम्बन्धित व्यय, (ii) भूमि का किराया, तथा (iii) उचित लाभ का अंश)

गैर-कृषि आय = कुल विक्रय मूल्य — कृषि उपज का बाजार मूल्य

(2) कृषि उपज को लगान या किराये के रूप में प्राप्त करके उसे कच्चे माल में प्रयोग करने वाले निर्माणकर्ताओं की आय—इस दशा में भी उपरोक्त (1) में वर्णित गणना विधि प्रयोग में लाई जायेगी।

(3) चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय [नियम 8]—भारत में उत्पादित एवं निर्मित चाय के विक्रय में भी कृषि आय का अंश शामिल होता है। इस आय का 60% भाग कृषि आय माना जाता है तथा शेष 40% भाग गैर-कृषि आय होती है जिसे 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक में कर-योग्य मानकर जोड़ते हैं। यदि कोई साझीदार चाय के उत्पादन में संलग्न व्यावसायिक फर्म से वेतन या लाभ के रूप में कुछ प्राप्त करता है, तो ऐसी प्राप्ति के 60% भाग को उसकी कृषि आय माना जायेगा जो कर-मुक्त होगी एवं शेष 40% भाग उसकी गैर-कृषि आय या व्यावसायिक (कर-योग्य) होगी। यदि कोई व्यक्ति सीधे चाय की हरी पत्ती बेचता है तो उससे होने वाली आय 100% कृषि आय मानी जायेगी।

(4) रबर के उत्पादन से आय [नियम 7A]—रबर के उत्पादन व विक्रय से प्राप्त आय का 65% भाग कृषि आय मानी जाती है तथा 35% भाग गैर-कृषि आय मानी जाती है। मरे हुए पौधों के स्थान पर नये पौधे लगाने का व्यय लागत में जोड़ा जायेगा। यदि कोई अनुदान रबर बोर्ड से प्राप्त होता है तो उसे उत्पादन लागत में से नहीं घटाया जायेगा।

(5) कॉफी के उत्पादन एवं निर्माण से आय [नियम 7B]—इसमें निम्नलिखित दो प्रकार के प्रावधान हैं :

(अ) जो करदाता कॉफी का उत्पादन एवं निर्माण भारत में करके उसका विक्रय करते हैं और इससे जो आय प्राप्त होती है उसका 75% भाग कृषि आय माना जाता है तथा शेष 25% भाग गैर-कृषि आय मानी जायेगी जिसे व्यावसायिक आय कहेंगे और कर-योग्य होगी।

(ब) जो करदाता भारत में कॉफी का उत्पादन, निर्माण करके उसे भूनना या तपाना (roasting), पीसना (grounding) (इसमें कोई खुशबू लाने हेतु कोई तत्व मिलाये अथवा नहीं) आदि क्रियायें करके उसका विक्रय करते हैं तो इस आय का 60% भाग कृषि आय होगी तथा शेष 40% भाग गैर-कृषि आय कहलायेगी। इससे सम्बन्धित कुल आय की गणना करते समय उन पौधों का व्यय लागत में शामिल करेंगे जो मरे हुए पौधों के स्थान पर लगाये जाते हैं किन्तु कॉफी बोर्ड से कोई अनुदान या सहायता (subsidy) प्राप्त होती है तो उसे लागत में से घटाया नहीं जायेगा।